

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली  
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केप कोर्ट) कैम्प खीमेल

26-06-2025

--आदेश--

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" 2025/343 खीमेल व नूअ.नि. मोरखमपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बाली/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार ग्राम खीमेल तहसील बाली व जिला पाली की जमावन्दी सन् 2076-2079 में खाता संख्या 298-299-303 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
L	<u>खीमेल</u>	298	<u>विक्रम पुज दीपाराम</u>	<u>विक्रम डफे विकास कुमार पुज दीपाराम</u>
		299	- ०० -	- ०० -
		303	- ०० -	- ०० -



26/6/25  
 पीठासीन अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहायक कलक्टर, .....

दिनांक :- 26/06/2025

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री विक्रम डफे विकास कुमार पुज दीपाराम को सूचित किया जाये।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी  
 लोक अदालत  
 बाली  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर